



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1201]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 1201]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

**का.आ. 1361(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 का उप-वाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय को उक्त निकायों से प्राप्त होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है :—

(क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि; और

(ख) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि पर प्राप्त ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी;

(क) किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप इसको होने वाली विशेष आय के स्रोत में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरा करेगा।

3. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-16, 2016-17 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष, 2017-18 और 2018-19 के लिए भी लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 33/2017/फा.सं. 196/15/2015-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

**स्पष्टीकरण ज्ञापन:** यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।